सेवा में

श्रीमान निदेशक
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बॉक्स 18, चन्दरबनी
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि जिला देहरादून में **आसन वैट लैण्ड संरक्षण आरक्ष** को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36(क) के अन्तर्गत संरक्षण आरक्ष के रूप में उत्तरांचल सरकार, वन एंव पर्यावरण अनुभाग अधिसूचना संख्या 2414(1)/दस–2–2005–19(1)/2004 देहरादून, दिनांक 05.08.2005 में घोषित किया जाना कथित किया गया है। जिसकी प्रति कम संख्या 12 के माध्यम से श्रीमान संयुक्त निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस को गजट प्रकाशन के लिए भेजी गयी थी। प्रस्तावित **उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपके अवलोकन के लिए संलग्न की जा रही है।**

1. यह जिस गजट में प्रकाशित किया गया है उस गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध करायें यदि प्रकाशित नही किया गया है तो स्पष्ट उल्लेख करें।
2. उक्त कथित नोटिफिकेशन दिनांक 05.08.2005 की हस्ताक्षरित अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायें।
3. उक्त कथित नोटिफिकेशन दिनांक 05.08.2005 जिस पत्रावली पर जारी किया गया है उस पत्रावली की पूर्ण नोटशीट की प्रति उपलब्ध करायें।
4. तथाकथित नोटिफिकेशन दिनांक 05.08.2005 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व राज्यपाल महोदय से जो सहमति प्राप्त की गई है उसकी प्रति उपलब्ध करायें।
5. तथाकथित नोटिफिकेशन दिनांक 05.08.2005 की अधिसूचना जारी करने से पूर्व पत्रावली पर जो क्षेत्रीय निरिक्षण कर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसकी प्रति मय नक्शे सहित उपलब्ध करायें।
6. नोटिफिकेशन के साथ जो नक्शा जारी किया गया है उसकी रंगीन प्रति स्केल के ऊपर उपलब्ध करायें।

उपरोक्त मांगी गई सूचनाएं प्रार्थी को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी और यदि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित नही है तो धारा 6(3) के तहत सम्बन्धित विभाग व अधिकारी को भेज दे और मुझे भीं सूचित करने का कष्ट करें।

दिनांकः 29.05.2021
संलग्नकः उपरोक्तानुसार

प्रार्थी

जतिन्दर सिंह
12/20, आर्शीवाद एन्कलेव
चकराता रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Apl. No. 20 Qtr. I Year 2021-22
Fee 10/- Inward Date 14/06/2021
IPO

DWII OFFICE
DIARY NO. 3489
DATE 14/6/21

CPIO 14/06

परिशिष्ट–2

उत्तरांचल सरकार
वन एवं पर्यावरण अनुभाग
संख्या 2414(1)/दस–2–2005–19(1)/2004
दिनांक देहरादून अगस्त 5, 2005

अधिसूचना

उत्तरांचल राज्य सरकार की राय है कि वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के प्रयोजन के लिए पारिस्थितिकी, जीव जन्तुओं और पशु–पक्षियों, भू–आकृति, प्राकृतिक पर्यावरण और प्राणि विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उस क्षेत्र को, जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसूची में दिया गया है, जनपद देहरादून में संरक्षण आरक्ष घोषित किये जाने की आवश्यकता है :

अतः, अब, राज्यपाल वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (अधिनियम 53, सन 1972) की धारा 36 क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र को एक संरक्षण आरक्ष के रूप में घोषित करते हैं जिसका नाम **"आसन वैटलैण्ड संरक्षण आरक्ष"** होगा।

अनुसूची

"आसन वैटलैण्ड संरक्षण आरक्ष" में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण–

सीमा का विवरण:–

1. **उत्तरी सीमा:–** सीमा स्तम्भ संख्या ए 1, से उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमा (यमुना नदी की मध्य रेखा) के साथ–साथ रामपुर मण्डी वन खण्ड के सीमा स्तम्भ संख्या 4 तक। यहां से हरबंटपुर पौंटा मोटर मार्ग के कि0मी0 40 के समीप मार्ग को पार करके ढालीपुर विद्युतगृह के विभागीय परिसर की पश्चिमी सीमा से होती हुई ढालीपुर विद्युतगृह के नीचे स्थिति सिंचाई विभाग की भूमि की पूर्वी सीमा बनाते हुये आसन नदी के दाहिनें तट तक। यहां से आसन नदी के दाहिनें तट के साथ–साथ हरबर्टपुर–सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0– 72 पर कि0मी0 सं0 116 के समीप आसन नदी पर बने पुल के उत्तरी छोर तक।

2. पूर्वी सीमाः– हरबर्टपुर सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 पर बने आसन नदी के पुल के उत्तरी छोर से आसन नदी को पार करते हुये आसन पुल के दक्षिणी छोर तक ।

3. दक्षिणी सीमाः– आसन पुल के दक्षिणी छोर से यह सीमा आसन नदी के बांये तट के साथ–साथ आसन जलाशय की दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाते हुये बन्धे तक जाती है। इस बन्धे को पार करके ग्राम कुजां की कृषि भूमि की उत्तरी सीमा पर होती हुई हरर्बटपुर पौटां मोटर मार्ग को पार करती हुई और आसन बैराज–कुल्हाल पावर चैनल पर बने फुट ब्रिज तक जाती है। यहां से दक्षिणी सीमा फुट ब्रिज पर से पावर चैनल को पार करती है तथा आसन बैराज–कुल्हाल पावर चैनल के दाहिने तट पर होती हुई ग्राम कुजांग्रान्ट की ग्राम समाज भूमि के दक्षिणी सीमा से होती हुई रामपुर मण्डी वन खण्ड के सीमा स्तम्भ संख्या 8 पर समाप्त होती है।

4. पश्चिमी सीमाः– रामपुर मण्डी वन खण्ड के सीमा स्तम्भ संख्या 8 से रामपुर मण्डी वन ब्लाक की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ सीमा स्तम्भ संख्या ए–1 पर जा मिलती है।

क्षेत्र

इस संरक्षण आरक्ष में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगेः–

प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
चकराता वन प्रभाग	रिवर	यमुना नदी का क्षेत्र	105.50
		आसन नदी का क्षेत्र	100.00
		आरक्षित वन का क्षेत्र	33.00
		आसन जलाशय का क्षेत्र	108.75
		सिंचाई विभाग की भूमि	57.00
		कुजांग्रान्ट की ग्राम समाज भूमि	7.50
		सिंचाई विभाग की भूमि जिसमें यूकेलिप्टिस रोपण तथा घास मैदान है।	27.00
		सड़कों की भूमि (जिसमें तटबन्ध भी हैं)	4.30
		पावर चैनल की भूमि	1.35
		योग	444.40

आज्ञा से

हस्ताक्षर

(रणबीर सिंह)

सचिव वन

संख्या–2414/दस–2–2005, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली.
2. अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली.
3. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन.
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.
5. निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून.
6. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल, देहरादून.
7. समस्त मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक/ निदेशक, राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव सेन्चूरी, उत्तरांचल.
8. आयुक्त गढ़वाल/ कुमाऊँ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून.
10. स्टाफ ऑफिसर–। मुख्य सचिव, उत्तरांचल, देहरादून.
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल.
12. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस, रुड़की, उत्तरांचल को अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ, कृपया गजट की 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध करायें.
13. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.
14. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाईल (ए).

हस्ताक्षर

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव